ईएलआइ से एमएसएमई में मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा

राजीव कुमार ● जागरण

- वित्त मंत्री ने बजट में किया था योजना का एलान, नोटिफिकेशन का इंतजार
- लागत में कमी आएगी और उद्यमी मैन्यूफैक्चरिंग पर कर सकेंगे फोकस

नई दिल्ली: बजट में एंप्लायमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआइ) स्कीम का एलान किया गया था। इससे एमएसएमई में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ने का भरोसा जताया गया था। एमएसएमई को अब सरकार की घोषित स्कीम के नोटिफिकेशन का इंतजार है ताकि वे नई भर्ती शुरू कर सके। एमएसएमई का कहना है कि मैन्यूफैक्चरिंग की कुल लागत में श्रम लागत की हिस्सेदारी अहम होती है। सरकार की ईएलआइ स्कीम से लागत में कमी आएगी और उद्यमी मैन्यूफैक्चरिंग पर फोकस कर सकेंगे।

मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, देश में इस समय 6.33 करोड़ एमएसएमई है और इनमें 31 प्रतिशत हिस्सेदारी मैन्यूफैक्चरिंग की है। पिछले दस सालों से भी अधिक समय से सरकार एमएसएमई की संख्या 6.33 करोड़ बता रही है। इन 6.33 करोड़ में से इस साल 31 मार्च तक उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले एमएसएमई की संख्या 4.19 करोड़ है और पंजीकृत एमएसएमई में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी सिर्फ 19 प्रतिशत है। 36 प्रतिशत सर्विस सेक्टर से है तो बाकी के 45 प्रतिशत ट्रेडिंग से जुड़े हैं। सरकारी स्कीम का लाभ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमी ही ले सकेंगे।

बजट में घोषित स्कीम के मुताबिक, पहली बार किसी को नौकरी देने पर पहले महीने की 15,000 रुपये तक का वेतन सरकार देगी। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार देने पर चार साल तक पहली बार भर्ती हुए उस कर्मचारी की भविष्य निधि (पीएफ) में पूरा योगदान सरकार देगी। मतलब कर्मचारी की तरफ से और रोजगार देने वाले दोनों की तरफ से सरकार उस कर्मचारी का पीएफ देगी।

20 से कम कर्मचारी रखने वाले नियोक्ता को नहीं मिलेगा लाभ : इंटिग्रेटेड एसोसिएशन आफ माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के चेयरमैन राजीव चावला ने बताया कि निश्चित रूप से मैन्यूफैक्चरिंग में ईएलआइ स्कीम से रोजगार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन 20 से कम कर्मचारी रखने वाले नियोक्ता को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। 20 से अधिक कर्मचारी रखने पर ही पीएफ का नियम लागू होता है। स्कीम का एक फायदा यह भी होगा कि पहली बार भर्ती होने वाले सैकड़ों कर्मचारी पीएफ का लाभ मिलने से संगठित सेक्टर में शामिल हो जाएंगे।

हमें अब ईएलआई स्कीम के नोटिफिकेशन का इंतजार है। इस स्कीम से मैन्यूफैक्चरिंग में एक नए श्रमिक को नौकरी देने पर उद्यमी को 87 हजार रुपये का फायदा होगा। पहले माह की 15,000 रुपये तक का वेतन और पीएफ में उद्यमी की तरफ से दिए जाने वाले सालभर का 18 हजार रुपये के हिसाब से चार साल में 72,000 रुपये भी सरकार देगी। छाबड़ा ने बताया कि छोटे उद्योग में नए श्रमिकों की शुरुआती वेतन 15,000 रुपये तक ही होता है।

-राकेश छाबड़ा, उपाध्यक्ष, फेडरेशन आफ इंडियन माइक्रो, स्माल व मीडियम इंटरप्राइजेज